| | | |
|---|---|---|
| 1. | योजना का नाम | **मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना** |
| 2. | योजना का संक्षिप्त परिचय | इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। |
| 3. | प्रारम्भ होने का वर्ष | वर्ष 2013-14 |
| 4. | लाभान्वित वर्ग | 40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन |
| 5. | पात्रता | 1. भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिये<br>2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों<br>3. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।<br>4. आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।<br>5. आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हों।<br>6. आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही हों।<br>आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये। |
| 6. | देय सुविधाएं | स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। |
| 7. | आवेदन पत्र | जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें। |
| 8. | आवेदन का तरीका | सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा। |
| 9. | आवेदन कहां किया जावे | सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में। |
| 10. | आवेदन के साथ औपचारिकताएं | जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक माह में आवेदक की पात्रता की जॉच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवाया जायेगा बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जाती है । |
| 11. | सम्पर्क सूत्र | सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में। |

# ऋण आवेदन पत्र
## मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

निःशक्तता दर्शित
नवीनतम फोटो

सेवामें,
उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.....(जिला)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | आवेदक का नाम | : | ..... |
| 2 | आवेदक पिता/पति का नाम | : | ..... |
| 3 | आवेदक का पूर्ण पता | : | ग्राम/वार्ड सं. .....ग्राम पंचायत/नगर पालिका.....<br>पंचायत समिति/तहसील.....जिला.....<br>राजस्थान राज्य..... |
| 4 | आवेदक की श्रेणी | : | पुरूष/महिला (टिक करे) |
| 5 | विशेष योग्यजन की श्रेणी | : | मूक बधिर/दृष्टि बाधित/शारीरिक अक्षम/ श्रवण बाधित/मानसिक विमंदित/.....अन्य<br>(टिक करें) |
| 6 | आवेदक की जन्म तिथि व आयु | : | ..... |
| 7 | आवेदक श्रेणी संवर्ग | : | अनु.जाति/जनजाति/ओ.बी.सी./अल्प संख्यक वर्ग/सामान्य<br>( टिक करें) |
| 8 | आवेदक का शैक्षणिक स्तर | : | ..... |
| 9 | योजना/व्यवसाय का नाम जिसके लिये ऋण चाहता है (पृष्ठ भाग में अंकित व्यवसाय में से) | : | .....<br>..... |
| 10 | योजना/व्यवसाय से संबंधित धारित प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (यदि कोई हो) | : | ..... |
| 11 | आय के संबंध में स्वघोषणा–पत्र अनुसार आवेदक एवं परिवार | : | ..... |
| 12 | योजना /व्यवसाय का कार्य स्थल का विवरण | : | ग्राम/वार्ड सं. .....ग्राम पंचायत/नगर पालिका.....<br>पंचायत समिति/तहसील.....जिला.....<br>राजस्थान राज्य..... |
| 13 | कार्य स्थल के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज | : | स्वयं का/किराये का/लीज पर/अन्य<br>( टिक करे) |
| 14 | कार्य परियोजना/प्रस्तावित व्यवसाय की कुल लागत | : | रू..... |
| 15 | प्रस्तावित कार्य योजना/व्यवसाय में नियोजन क्षमता की संख्या | : | स्वयं के परिवार से .....<br>अन्य से ..... |
| 16 | प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था– | : | (i) स्वयं के स्त्रोत से .....रू.<br>(ii) बैंक/ वित्तीय संस्थान से .....रू.<br>(iii) अनुदान राशि.....रू. कुल.....रू. |
| 17 | आवेदक का आधार नं.:– | 18 | आवेदक का भामाशाह कार्ड नं.:– |
| 19 | आवेदक का मोबाईल नं.:– | 20 | आवेदक का बैंक विवरण :–<br>बैंक का नाम :<br>अकाउंट नं :<br>IFSC कोड : |

**दिनांक :** **हस्ताक्षर आवेदक**

**नोटः मानसिक विमंदित आवेदकों के मामले में हस्ताक्षर उसके बैधानिक संरक्षक द्वारा किये जायेंगे मैं आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ अतः उसके फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाते है।**

हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी मय सील

संलग्न :–

1 निःशक्तता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र
2 योजना/व्यवसाय से संबंधित धारित प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (यदि कोई हो)
3 निर्धारित प्रारूप में आय के संबंध में स्वघोषणा पत्र
4 मूल निवास प्रमाण पत्र।
5 जाति प्रमाण पत्र।
6 रू. 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र

## शपथ पत्र

**(रू. 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)**

1 मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पुत्र/पुत्री/पत्नि .....
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मै .....
(स्थाई पता)ग्राम .....तहसील.....
जिला ..... राजस्थान का/की/स्थायी निवासी हूँ।

2 मैं विशेष योग्यजन वर्ग की (निःशक्तता की श्रेणी).....से हूँ।

3 मेरी व मेरे परिवार की कुल सकल वार्षिक आय रू. .....है।

4 मेरे द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना प्रस्तुत सं ऋण आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाएँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है। कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

5 मैंने पूर्व में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास सहकारी निमग लि. एवं अन्य किसी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक/संस्था की किसी भी योजना का स्वरोगार हेतु कोई ऋण प्राप्त नही किया है।

6 मैं वर्तमान में जिस ऋण हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ उस राशि को आवेदित योजनानुसार स्वरोजगार हेतु उप करूगा/करूगी एव निर्धारित किश्तो का मय ब्याज राशि समय पर चुकता रहूगां/रहूगीं।

7 मैं ऋण उपलब्ध करवाने की शर्तो निर्देशो को मानने के लिए पाबन्द रहूंगा/रहूंगी उक्त शपथ पत्र मेरे पूर्ण होश–हवास में अपने हस्ताक्षरों से सम्पादित कर दिया है, मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाये गये है। नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से सत्यापित करवा दिया है ताकि मुझे ऋण प्राप्त हो सके एवं ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में यह शपथ मेर विरूद्ध काम आये।

**हस्ताक्षर शपथकर्ता**

(ऋण प्राप्त करने वाला प्रार्थी)
(मानसिक विमंदित के मामले में वैधानिक संरक्षक)

## (सत्यापन)

आवेदक द्वारा शपथ–पत्र के क्रम संख्या 1 से 7 तक पढ़ कर सुनाया गया तथा सही होना स्वीकार करने से एतद् द्वारा सत्यापन किया जाता है।

सत्यापनकर्त्ता

नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

.....

स्वरोजगार/व्यावसायिक गतिविधियों का नाम :–

1. एस.टी.डी/पी.सी.ओं. 2. इलेक्ट्रिक मोटर (बिक्री एवं सर्विस) 3.ऑटो पार्टस की दुकान 4.सोना/चांदी के जेवर बनाने का कार्य 5.सोना/चांदी की प्लेटिंग का कार्य 6.बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान 7.ढ़ाबा/रेस्टोरेन्ट 8.बर्तन की दुकान 9.साईकिल की बिक्री, मरम्मत व किराये पर देना 10.टेलरिंग शॉप 11.कृत्रिम आभूषण शॉप 12.किराने/पान/फल–फूल/सब्जी की दुकान 13.खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरणों की शॉप 14.टैन्ट हाउस 15.ड्राईक्लीन/वाशिंग शॉप 16.बेकरी 17.किताब, स्टेशनरी आदि की दुकान 18.बिजली के सामान की दुकान 19.जूते, चप्पल बनाना व बिक्री 20.कपडो की रंगाई एवं प्रिन्टींग 21.टाईप एवं इलेक्ट्रोनिक टाईपिंग 22.कम्प्यूटर इन्स्टीट्यूट 23.ब्यूटी पार्लर 24.रेडिमेड गारमेन्ट 25.मोबाईल कम्प्यूटर रिपेयरिंग 26.स्टील फर्नीचर 27.आटा चक्की 28.कम्प्यूटर, जीरॉक्स मशीन सेन्टर 29.सॉफ्ट टवाएज मेकिंग 30.पशुपालन 31.स्प्रे पेन्टिग 32.ऑफसेट प्रिन्टिग 33.मोबाईल रिपेयर एवं सेल्स 34.हार्डवेयर कम्प्यूटर 35.कढाई कार्य 36.स्टील फेब्रिकेशन 37.फाईन आर्ट 38.स्क्री प्रिन्टिंग 39.दुपहिया वाहन सर्विस 40.कार सर्विसिंग व धुलाई 41.क्लॉथ मैचिंग सेन्टर लेडिज 42.वाटर प्यूरिफायर सेल्स/सर्विस 43.ई–मित्र 44.रेडिमेड गारमेंट 45.बुक वाईन्डिग 46.टी वी रिपेयर 47.इलेक्ट्रोनिक्स (होम एम्पलान्सस) 48.इन्टिरीयर डेकोरेशन 49.क्राफ्टस कार्य 50.डेयरी कार्य 51.पोल्ट्री फारमिंग 52.टर्नर कार्य 53.फिटर कार्य 54.मशीनिस्ठ कार्य 55.ए.सी. एवं फ्रिज रिपेयरिंग 56.जेम्स कट्रिग व पॉलिसिंग 57.यू.पी.एस. /इन्वर्टर सेल्स व सर्विस 58.ट्रांस फारमर वाईन्डिग 59.डी.टी.पी./प्रिन्टिग मशीन 60.अन्य व्यवसाय जो विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर द्वारा समय–समय पर सुझाये जायें।